मौज़ूअ और ज़ईफ़ हदीसों का चलन

موضوع اور ضعیف حدیثوں کا چلن

शम्स पीरज़ादा (रह.)

हिन्दी अनुवाद :

मुहम्मद नसरूल्लाह

प्रकाशक :

इदारा दअ्वतुल क़ुर्आन

५९-मुहम्मद अली रोड, मुंबई-४०००० ३

फोन ; २३४६५००५

4th Edition, 4000
October, 2006

Price Rs.9/-

بِسْمِہٖ تَعَالٰی

प्रस्तावना

अकसर मुसलमानों का हाल यह है कि सही हदीसें तो क्या, क़ुरआन मजीद जो अल्लाह तआला का कलाम तथा किताबे हिदायत है उस को पसे पुश्त (पीठ पीछे)डाल कर मौज़ूअ और ज़ईफ हदीसों के माध्यम से दीन को प्राप्त करने तथा फैलाने में लगे हुए हैं। जब की अल्लाह तआला तथा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर झूठ बाँधने वालों के सिलसिले में बड़ी सख्त दंड की धमकी (वईदें) आई हैं यहाँ तक कि अल्लाह तथा उस के रसूल की तरफ झूठ गढ़ने वालों को नरक (जहन्नम) के निचले दर्जा (तबक:)में अपना ठिकाना ढूँढने की ''ख़ुशखबरी''सुनाई गई है।

इस के बावजूद लोगों को मौज़ूअ तथा ज़ईफ हदीसों से खासी रूची (रग़बत)पैदा हो गई है।इस पर प्रहार (ज़रब कारी)लगाने के लिए मौलाना शम्स पीरज़ादा (रह.)ने यह छोटी सी पुस्तिका ''मौज़ूअ और ज़ईफ हदीसों का चलन''तरतीब दे कर दीन की अज़ीम खिदमत अन्जाम दी हैं।अल्लाह तआला के फज़ल से अब तक इस पुस्तिका के बहुत से ऐडिशन प्रकाशित हो चुके हैं।उर्दू ,गुजराती, तथा अंग्रेज़ी में भी यह पुस्तिका प्रकाशित हो रही हैं। अल्लाह तआला मौलाना मरहूम को जज़ाऐ खैर दे।

इदारा ''दअ्वतुल क़ुरआन''प्रथम दिन से ही क़ुरआन फहमी की मुहिम प्रारम्भ की । तफ़सीर ''दअ्वतुल क़ुरआन'' जिस के संपादित मौलाना शम्स पीरज़ादा (रह.) हैं । पाँच भाषाओं उर्दू ,मराठी,गुजराती,हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में प्रकाशित हो रही हैं।उर्दू तफ़सीर को दो खंडो (जिल्दों)में लाया गया है, इन्शाअल्लाह इसी प्रकार दूसरी भाषाओं में भी दो दो

खंडो (जिल्दों)पर सम्मिलित हो गी।

इदारा ने क़ुरआन फहमी के साथ साथ सहीह अहादीस को लोगों तक पहुँचाने का प्रबन्ध किया है। इसलिए सहीह हदीस के दो मजमूऐ ''तनवीरूल हदीस'' तथा ''जवाहिरूल हदीस'' मरहूम की परिश्रम का परिणाम है ।

अल्लाह तआला जो सुनने तथा देखने (समीअ व बसीर) वाले से प्रार्थना है कि वह हमें क़ुरआन तथा सहीह अहादीस से दीन का ज्ञान प्राप्त करने,उस पर चलने तथा उस को फैलाने की तौफीक़ अता फरमाऐ । (आमीन)

शहाब बानकोटी
सेक्रेटरीं
इदारा दअवतुल कुरआन मुंबई

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तवना	२
भूमिका	५
अल्लाह और रसूल के नाम से झूठी बातें पेश करना	७
हदीसें कौन लोग गढ़ते रहे	८
मौज़ूअ हदीस की मिसालें	१०
ज़अीफ़ हदीस	२१
ज़अीफ़ हदीस की मिसालें	२४
मौज़ू और ज़अीफ़ हदीसों पर किताबें	२९
उम्मते मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी	३०

بسم الله الرحمن الرحيم

भूमिका

यह लेख (उर्दू में) एक प्रश्न के उत्तर में लिखा गया था जो माहनामा 'निशाते सानिया' बम्बई के दिसम्बर १९८६ और मार्च १९८७ के अंकों में प्रकाशित हुआ। अब इस को जन साधारण की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए संशोधन के साथ पम्फ्लेट की शक्ल में प्रकाशित किया जा रहा है।

मौज़ू (गढ़ी हुई) और ज़अीफ़ (कमजोर) हदीसों के चलन ने हक़ को बातिल के साथ गड मड कर दिया है। कितनी बिदअतें हैं जो इसी राह से दीन में दाखिल हुई हैं। कितने फिरक़े हैं जिन्होंने ऐसी ही हदीसों का सहारा लिया और कितना बड़ा गति अवरोध (तअत्तुल) है जो इन रिवायात की वजह से मिल्लत के अन्दर पैदा हो गया है।

'यह उम्मत रिवायात में खो गयी !'

अल्लम ग़ल्लम रिवायतों को बयान करने में न वाइज़ों (उपदेशकों) को संकोच होता है और न उन लोगों को जिन पर इल्मे-दीन फैलाने की ज़िम्मेदारी थी। बहुत कम लोग हैं जो हदीस के मामले में सावधानी अपनाए हुए हैं। आम तौर पर हाल यही है कि हदीस के नाम से विभिन्न किताबों में जो कुछ पेश किया गया है उसको वह रसूल के इरशादात ही समझते हैं चाहे कोई हदीस प्रमाण की दृष्टि से कितनी ही कमज़ोर या गढ़ी हुई क्यों न हो।

यदि हदीस के मामले में यह नरमी और सरलता गवारा किया जा सकता है तो फिर मुहद्दिसीन ने हदीसों की खोज व तहक़ीक़ में जो कठिन परिश्रम किया और फन्ने-हदीस की तशकील (रचना)

कर के जो बड़ा कारनामा अंजाम दिया है वह सब अनावश्यक मालूम होता है। अगर ज़अीफ़ हदीसें भी हुज्जत (दलील) हैं तो फिर सही और ज़अीफ़ की बहस का हासिल क्या और दोनों में किस लिए फर्क़ किया जाए? खुदा करे इस पम्फ्लेट के अध्ययन से हदीस के बारे में सही विचार अपनाने में मदद मिले।

शम्स पीरज़ादा

स्थल : बम्बई

२,रबीउल अव्वल, १४०६ हिजरी

तारीख : २६ अक्टूबर १९८७ ईसवी.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हदीसे-रसूल का सम्बन्ध दीन और उसकी शिक्षाओं से है इस लिए जो बात भी हदीस के नाम से पेश की जाएगी वह दीन का एक हिस्सा क़रार पायेगी। दूसरे शब्दों में इसके द्वारा यह बात निश्चित होगी कि अल्लाह तआला ने अपने रसूल के माध्यम से यह वाज़ेह फ़रमा दिया है कि उसे यह बात पसन्द है और यह नापसन्द या फ़लां काम पर वह यह और यह ईनाम और फलां हरकत पर यह और यह सज़ा देने वाला है। ज़ाहिर है कि यह एक बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। अगर वाक़ई उस हदीस का सम्बन्ध जो बयान की जाए सही है तो वह दीन की शिक्षाओं में शामिल समझी जाएगी। जिसके बाद किसी मुसलमान के लिए चूं व चरा की कोई गुंजाइश बाक़ी नहीं रहती। उस पर वाजिब है कि रसूल के हर क़ौल को कुबूल करे और उनकी सुन्नत की पैरवी करे। हदीस की इसी अहमियत को देखते हुए हमारे बुजुर्ग (सलफ स्वालेहीन) हदीस कुबूल करने के मामले में सावधान रहते थे और अविश्वसनीय रिवायतों को कोई अहमियत नहीं देते थे। मशहूर ताबई इब्ने सीरन फ़रमाते हैं :– ''हदीस दीन है लिहाज़ा देखो कि तुम किस से दीन हासिल कर रहे हो''

(अलकिफ़ाय: फी इल्मिर्रिवाय:–खतीब बग़दादी – पृष्ठ- १६२)

अल्लाह और रसूल के नाम से झूठी बातें पेश करना

लेकिन अगर कोई हदीस वास्तव में रसूल का क़ौल या अमल नहीं है तो वह एक झूठ है जो रसूल की तरफ़ और दरहक़ीक़त अल्लाह की तरफ़ मन्सूब कर के दीन में शामिल किया गया है। यह अल्लाह पर झूठा आरोप लगाना है जिस पर क़ुर्आन में कठोर चेतावनी दी गयी है।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ ۔(الانعام۔۱۴۴)

''उस शख़्स से बढ़ कर ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ़ झूठ बात मन्सूब करे ताकि इल्म के बग़ैर लोगों को गुमराह करे।''

قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ؕ (یونس۔۵۹)

''कहो अल्लाह ने तुमको इसकी अनुमति दी थी या तुम अल्लाह की तरफ़ झूठी बातें मन्सूब करते हो।''

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (یونس۔۶۰)

''जो लोग अल्लाह की तरफ़ झूठी बातें मन्सूब करते हैं उन्होंने क़यामत के दिन के बारे में क्या समझ रखा है।''

इसी तरह नबी सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम ने भी उन लोगों को जहन्नम की चेतावनी दी है जो आप की तरफ़ झूठ मन्सूब करें।

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ۔ (بخاری)

''जिस ने मेरी तरफ़ जान बूझ कर झूठ मन्सूब किया वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।''

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ حَدِيْثًا وَ هُوَيَرٰى اَنَّهٗ كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ ۔ (مسلم)

''जिस ने मेरी तरफ़ से कोई हदीस बयान की और वह जानता है कि यह झूठ है तो वह भी झूठ बोलने वालों में से एक है।''

हदीसें कौन लोग गढ़ते रहे

इस डरावे और चेतावनी के बावजूद अधिकतर हदीसें गढ़ कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ मन्सूब कर दी गईं। ऐसी हदीसों को

'मौज़ूअ' अर्थात गढ़ी हुई कहा जाता है। इन को गढ़ने वाले बदनियत लोग भी रहे हैं और 'नेक नियत' लोग भी। चुनांचे दीन के दुश्मनों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर उम्मत के अन्दर फितना पैदा करने के लिए हदीसें गढ़ीं, बादशाहों को खुश करने के लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला जाता रहा। और तरग़ीब व तरहीब अर्थात् अच्छे कामों के लिए प्रेरित करने व प्रलोभन देने और गुनाहों से डराने के लिए भी हदीसें वज़ा की (गढ़ी) गईं। नेक नियती के साथ हदीसें गढ़ने का यह काम कुछ ज़ाहिदों (सन्यासियों) और सूफ़ियों द्वारा अन्जाम पाया।

कुछ उपद्रवकारियों ने यह स्वीकार भी किया था कि उन्होंने हदीसें गढ़ी हैं। मिसाल के तौर पर मेहदी अब्बासी के दौर-खिलाफ़त में अब्दुलकरीम बिन अबी उरजा को क़त्ल के लिए लाया गया तो उसने स्वीकार किया कि मैंने चार हज़ार हदीसें गढ़ी हैं।एक व्यक्ति अबू उसामा नूह बिन अबी मरयम था जिसने क़ुर्आन की हर सूर: की फ़ज़ीलत में हदीसें गढ़ी और बाद में इस को स्वीकार करते हुए कहा कि जब मैंने देखा कि लोगा की दिलचस्पी अबू हनीफ़ा की फिक़ह और मुहम्मद बिन इसहाक़ की मग़ाज़ी से बढ़ गई है और क़ुर्आन की तरफ़ से तवज्जोह हटती जा रही है तो मैंने सवाब का काम समझ कर यह हदीसें गढ़ लीं। (किताबुलमौज़ूआत–इब्नेजौज़ी पृष्ठ १४)

वहब बिन मुनब्बेह जो यहूदी थे और बाद में मुसलमान हो गये थे, फ़जाएले-आमाल के लिए हदीसें गढ़ा करते थे। (मुक़द्दमा अज़ अब्दुर्रहमान बिन उस्मान बर किताब 'अलमौज़ूआत' पृष्ठ ८)

अबू दाऊद नख़्अी बहुत इबादत गुज़ार थे। रात में लम्बे क़याम करते और दिन में अक्सर रोज़ा रखते साथ ही हदीसें गढ़ने का काम भी करते।

(किताबुलमौज़ूआत पृष्ठ ४१)

गुलाम ख़लील से जब पूछा गया जो रक़ाएक़ के अध्याय (chapter) में वह बयान करते हैं तो कहने लगे हमने यह हदीसें इस लिए गढ़ ली हैं ताकि अवाम के दिलों में रिक़्क़त (नरमी) पैदा करें । (किताबुलमौज़ूआत पृष्ठ ४०)

क़िस्सा गो हज़रात (कथा वाचक) लोगों को रूलाने और अपनी मजलिसों की रौनक़ बढ़ाने के लिए झूठे क़िस्से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़

मन्सूब कर के बयान करते थे। इराक़ में तो गोया टक्साल थी जहाँ हदीस के खोटे सिक्के ढाले जाते थे। शीआ इस मामले में आगे आगे रहे हैं। डाक्टर मुस्तफ़ा अस्सिबाई फ़रमाते हैं :–

''गढ़ने वालों ने सब से पहले शख़्सियतों की फ़ज़ीलत में हदीसें गढ़ना शुरू कीं। उन्होंने अपने इमामों और अपने फिरकों के सरबराहों (Leaders) की वर्चस्वता (बरतरी) को साबित करने के लिए काफी संख्या में हदीसें गढ़ी और कहा जाता है कि यह काम सब से पहले शीओं के विभिन्न गिरोहों ने अन्जाम दिया अत: इब्ने अबी हदीद नहजुल बलाग: की व्याख्या में फरमाते हैं : ''मालूम हो जाना चाहिए कि फ़जाएल की हदीसों में असल झूठ शीओं ही की तरफ़ से आया और इसके मुक़ाबले में अहले सुन्नत के जाहिलों ने भी हदीसें गढ़ लीं।'

(अस्सुन्न: व मकानतोहा फित्तश्रीइल इस्लामी पृष्ठ ७५)

राफ़ज़ियों ने हज़रत अली और अहले बैत के फ़ज़ाएल में हज़ारों हदीसें गढ़ीं इमाम शाफ़ओ फरमाते हैं कि मैंने स्वार्थियों में राफ़ज़ियों से ज्यादा झूठी गवाही देने वाला कोई गिरोह नहीं देखा।

मौज़ूअ हदीस की मिसालें

यहाँ हम मौज़ूअ हदीस की चन्द मिसालें पेश करते हैं जिससे अन्दाज़ा होगा कि लोगों में हदीस के नाम से कितनी ग़लत बातें मशहूर हो गई हैं और अवाम तो अवाम कभी कभी आलिमों की जुबान से भी यह हदीसें सुनने में आती हैं।

ا ۔ حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْاِيْمَانِ

(१) *''वतन की मुहब्बत ईमान का हिस्सा है।''*

इस की कोई असल नहीं लेकिन मौजूदा ज़माने में जब वतन परस्ती (Nationalism) का विकास हुआ तो लीडर ही नहीं कुछ उलेमा, भी इस को हदीसे नबवी की हैसियत से पेश करने लगे। हालांकि यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि वतन की मुहब्बत कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस का सम्बन्ध ईमान से

हो। इन्सान अपने घर से भी मुहब्बत करता है और अपने पाले हुए जानवरों से भी लेकिन यह ईमान का कोई हिस्सा नहीं है क्यों कि इस मुहब्बत में मोमिन काफ़िर सब बराबर हैं। और दीन की ख़ातिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की हालांकि यह सब से मुकद्दस सरज़मीन थी और यह आप का वतन था।

अल्लामा मुहम्मद नसिरुद्दीन अलबानी ने इसे मौजू क़रार देते हुए लिखा है कि सग़ानी (पृष्ठ-७) वग़ैरा ने इस के मौजू होने का स्पष्टीकरण किया है।
(सिलसिलतुल अहादीसिज़्ज़अीफ़ : वलैमौज़ुअ : खंड १ पृष्ठ - ५५)

٢۔ اَنَامَدِیۡنَةُ الۡعِلۡمِ وَعَلِیٌّ بَابُهَا۔

(२) ''मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा हैं।''

इस के प्रमाण पर इब्ने जौज़ी ने तफ़सील से बहस की है और लिखा है कि इसके रावियों (उल्लेखकर्ताओं) में अबुसल्त हरवी है जो झूठा था और उसी ने यह हदीस गढ़ी है। फिर दूसरे रिवायतकर्ताओं ने उसकी तस्करी बयान की है।
(किताबुलमौजूआत, जिल्द - १ पृष्ठ ३५० से ३५५)

शेख इस्माईल अलअजलूनी फरमाते हैं कि यह हदीस मुज़तरिब (confused) और ग़ैर साबित है । जैसा कि दारकुतनी ने अलइलल में लिखा है और तिर्मिज़ी ने इसे मुनकर क़रार दिया है । बुखारी कहते हैं कि इस का कोई प्रमाण सही नहीं है और खतीब बग़दादी ने यहया इब्ने मुईन का क़ौल नक़ल किया है कि यह झूठ है, इस की कोई असल नहीं । (कशफुलखिफ़ा जिल्द १ पृष्ठ- २०३)

٣۔ لَوۡلَاکَ لَمَاخَلَقۡتُ الۡاَفۡلَاکَ۔

(३) *''अगर तुम न होते तो मैं आसमानों को पैदा न करता।''*

यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश की जाती है। अर्थात यह बात अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के

हक़ में इरशाद फरमाई है लेकिन जहाँ तक क़ुर्आन का सम्बन्ध है उसमें बयान हुआ है कि आसमान व ज़मीन की रचना हक़ के उद्देश्य के लिए हुई है। किसी शख्सियत के लिए पैदा करने का कोई जिक्र नहीं है। रही यह हदीस तो अल्लामा अलबानी लिखते हैं कि यह मौजू है जैसा कि सग़ानी ने ''अलअहादीसुल मौज़ूअ:'' में इस का वर्णन किया है।
(सिलसिलतुल –अहादीसिज़्ज़अीफ़ : जिल्द १ पृष्ठ २९९)

٤۔ اِخۡتِلَافُ اُمَّتِیۡ رَحۡمَةٌ

(४) *''मेरी उम्मत का इख्तिलाफ़ रहमत है।''*

अल्लामा अल्बानी कहते हैं इस की कोई असल नहीं और यह हदीस अपने मायने के लिहाज़ से मुहक़्क़िक़ उलेमा (संशोधक विद्वानों) के नज़दीक अस्वीकार्य है। इब्ने हज़म ने इसे अत्यन्त विकृत कथन कहा है।
(सिलसिलतुल–अहादीसिज़्ज़अीफ़:जिल्द १ पृष्ठ ७६)
क़ुर्आन में इख़्तिलाफ़ करने से मना किया है :–

وَلَاتَنَازَعُوۡافَتَفۡشَلُوۡاوتَذۡهَبَ رِیۡحُکُمۡ ۔(الانفال:٤٦)

''और आपस में इख्तिलाफ़ न करो वरना तुम्हारे अन्दर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी।'' (सूर: अन्फाल- ४६)

और हिदायत की गयी है कि अगर कोई इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटाओ।

فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِیۡ شَیۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَی اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ۔ (النساء:٥٩)

''अगर तुम्हारे बीच किसी मामले में मतभेद हो जाए तो उसको अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटाओ।''(सूर: अन्निसा- ५९)

मालूम हुआ कि शरीअत ने इख़्तिलाफ़ को निन्दित ठहराया है और वास्तविकता भी यह है कि उम्मत के बीच जो इख़्तिलाफ़ात पैदा हुए उसने

मिल्लत को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया। फिर उस को रहमत से किस तरह अलंकृत किया जा सकता है? मालूम हुआ कि यह हदीस हदीस ही नहीं।

٥۔ اُطْلُبُوْاالْعِلْمَ وَلَوْبِالصِّيْن

(५) *''इल्म तलाश करो चाहे चीन ही में क्यों न हो।''*

इब्ने जौज़ी लिखते हैं। कि इस हदीस का सम्बन्ध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ सही नहीं है। इसके एक रावी (उल्लेखकर्ता) हसन बिन आतिया को अबू हातिम राज़ी ने कमज़ोर (ज़अीफ़) कहा है,और दूसरे रावी अबू आतिका को इमाम बुख़ारी ने मुन्कर (Disagreeable) कहा है और इब्ने हब्बान कहते हैं यह हदीस बातिल (ग़लत) है, इसकी कोई असल नहीं।

(किताबुलमौजूआत:जिल्द १ पृष्ठ २१६)

और अल्लामा अल्बानी कहते हैं यह हदीस बातिल है।

(सिलसिलतुल– अहादीसिज़्ज़अीफ़ : जिल्द १ पृष्ठ ४१३)

हदीस का मतन (Text) भी इसके हदीसे रसूल होने को नकारता है क्योंकि दीन की इस्तेलाह (Term) में इल्म से दीन का इल्म तात्पर्य है और इल्मेदीन का स्रोत किताब व सुन्नत हैं जिनका स्थान रसूल की नगरी है। इसे छोड़ कर दीन के इल्म की तलाश में चीन जाने का क्या सवाल पैदा होता है।

٦۔ مَنْ وُلِدَلَهٗ مَوْلُوْدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّداً تَبَرُّكًا بِهٖ كَانَ هُوَ وَ مَوْلُوْدُهٗ فِى الجنةِ۔

(६) ''जिसके कोई बच्चा पैदा हुआ और उसने उसका नाम बरकत हासिल करने के लिए मुहम्मद रखा तो वह और उसका बच्चा दोनों जन्नत में होंगे।''

अल्लामा अल्बानी लिखते है कि यह हदीस मौज़ूअ है और अल्लामा इब्ने कैय्यम ने इसे बातिल कहा है।

(सिलसिलतुल– अहादीसिज़्ज़अीफ़ : जिल्द १ पृष्ठ २०७)

क़ुर्आन ने आखिरत की कामयाबी के लिए ईमान और नेक अमल को ज़रूरी

बताया है। इस हदीस में जन्नत में जाने के लिए यह शार्ट कट (Short Cut) प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे का नाम मुहम्मद रखो और दोनों जन्नत में चले जाओ। अर्थात अल्लाह के यहाँ काम नहीं देखा जाएगा। ज़ाहिर है यह हदीस किसी बिद्अती की गढ़ी हुई ही हो सकती है।

٧۔ اَلرِّبَاسَبْعُوْنَ بَا بًا اَصْغَرهَا عِنْدَاللّٰهِ كَاالَّذِىْ يَنْكِحُ اُمَّهٗ ۔

(७) *''सूद की हुर्मत (निषिद्धि) के सत्तर दर्जे हैं। सब से कम दर्जा अल्लाह के यहाँ यह है कि आदमी अपनी माँ के साथ सहवास करे।''*

इस हदीस को इब्ने जौज़ी ने विभिन्न तरीक़ों से नक़ल कर के लिखा है कि इन में कोई भी सही नहीं है। (किताबुल मौजूआत जिल्द -१,पृष्ठ २४५)

٨ ۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِىٌّ وَاِنَّ عَلِيًّا وَصِيِّ وَوَارِثِىْ ۔

(८) ''हर नबी का एक वसी होता है। अली मेरे वसी और वारिस हैं।''

इब्ने जौज़ी कहते हैं यह हदीस दो तरीकों से उल्लेख की गई है। एक मुहम्मद बिन हमीद के माध्यम से जिनको अबू ज़रआ और इब्ने वारा ने झुठा ठहराया है और दूसरे फरयानानी के माध्यम से जिसके बारे में इब्ने हब्बान कहते हैं कि वह सकक: रावियों (विश्वसनीय उल्लेखकर्ताओं) से ऐसी हदीसें बयान करता है जो वास्तव में उन की बयान की हुई नहीं होती एवं रिवायतकर्ताओं के क्रम में, एक रिवायतकर्ता मुस्लिमा बिन फ़ज़ल है जिस के बारे में इब्ने मदीनी ने कहा है कि हम ने इस की हदीस को रद्द कर दिया है।

(किताबुल मौजूआत जिल्द - १, पृष्ठ ३७६)

वास्तविकता यह है कि हज़रत अली (रजि.) के फ़ज़ाएल और उनकी इमामत व ख़िलाफ़त के सिलसिले में शीओं ने बहुत सी हदीसें गढ़ी हैं जिन में से एक हदीस यह है जो नमूने के तौर पर हम ने पेश की है।

٩۔ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهٖ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

(९) ''जिसकी मौत इस हाल में हुई कि उसने अपने ज़माने के इमाम को नहीं पहचाना तो वह जाहिलीयत की मौत मरा।''

नासिरूद्दीन अल्बानी कहते हैं कि इन अल्फ़ाज़ के साथ इस हदीस की कोई असल नहीं, और यह हदीस शीओं और कादीयानियों की किताब में पाई जाती है।

(सिलसिलातुल अहादीसिज़्ज़ओफ़ : जिल्द - १, पृष्ठ ३५४)

(१०) तबलीग़ी निसाब फ़ज़ाएले हज्ज में हज़रत आदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल एक अजीबो ग़रीब (आश्चर्यजनक) रिवायत नक़ल हुई है :

''हाकिम ने रिवायत नक़ल की है और इसको सही बताया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दाना खाने की खता सादिर हुई तो उन्होंने अल्लाह जल्लशानुहू से हुजूर के तुफ़ैल दुआ की, अल्लाह जल्लशानुहू ने दरयाफ़्त किया कि आदम तुम ने कैसे जाना अभी तो मैंने उनको पैदा भी नहीं किया। तो हज़रत आदम ने अर्ज़ किया कि, या अल्लाह जब तू ने मुझे पैदा किया था और मुझ में जान डाली थी तो मैंने अर्श के सुतूनों पर लाइलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा था तो मैंने समझ लिया था कि तू ने अपने पाक नाम के साथ जिसका नाम मिलाया है वह सारी मख़्लूक़ में तुझ को सब से ज़्यादा महबूब होगा। हक़ तआला शानुहू ने फ़रमाया कि बेशक वह सारी मख़्लूक़ में मुझे सब से ज़्यादा महबूब है और जब उसके तुफ़ैल तुम ने मग़फ़िरत तलब की तो मैंने तुम्हारी ख़ता माफ़ कर दी ।''

(फ़ज़ाएले हज्ज, पृष्ठ - ११५)

अल्लामा अल्बानी लिखते हैं कि यह हदीस मौज़ू (गढ़ी हुई) है और इमाम ज़हबी ने इसे बातिल क़रार दिया है। (सिलसिलातुल अहादीसिज्जओफ़:जिल्द-१पृष्ठ ३८)

और अल्लामा इब्ने तैमिया फ़रमाते हैं कि हाकिम की इस हदीस को मुनकर (Disagreeable) क़रार दिया गया है क्योंकि इसका एक रावी (उल्लेखकर्ता) अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम हैं जिसके बारे में हाकिम ने खुद अपनी किताब अलमदख़ल में लिखा है कि वह अपने बाप से मौज़ू

(गढ़ी हुई) हदीसें बयान करता है। उलमा-ए-हदीस (हदीस के विद्वान) कहते हैं कि हाकिम ऐसी हदीसों को भी सही क़रार देते हैं जो मुहद्दिसीन (हदीस के विशेषज्ञ विद्वान) के नज़दीक मौज़ू और झूठी होती हैं।

(मजमूअफतावा इब्ने तैमिया जिल्द - १ पृष्ठ - २५४)

इस रिवायत का बातिल होना इसके मतन (Text) से भी ज़ाहिर है क्योंकि क़ुर्आन करीम में हज़रत आदम की जो दुआ तौबा के तौर पर बयान हुई है उसके अल्फ़ाज़ (शब्द) ये हैं :

رَبَّنَا ظَلَمْنَاانْفُسَنَاوَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَاوَ تَرْ حَمْنَالَنَكُوْنَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (اعراف۲۳)

''ऐ हमारे रब! हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर तूने हमें नहीं बख्शा और रहम नहीं फ़रमाया तो हम तबाह हो जाऐंगे ।''

इस दुआ में इस बात का कोई ज़िक्र नहीं है कि हज़रत आदम ने अपनी बख्शिश के लिए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया था। अगर ऐसा होता तो क़ुर्आन इतनी अहम बात का ज़िक्र कैसे नहीं करता? इस लिए यह रिवायत क़ुर्आन के बयान से मेल नहीं खाती और जिन लोगों ने वास्तों और वसीलों की बिदअत (दीन में नई बात) निकाली है वह इस प्रकार की रिवायत का सहारा लेते हैं। इनको न क़ुर्आन में हुज़्ज़त मिलती है और न साबित शुदा सुन्नत में बल्कि ज़अीफ़ और मौज़ू हदीसों में ही हुज़्ज़त मिल जाती है।

(११) तब्लीगी निसाब फ़ज़ाएले हज्ज में मुन्ज़िरी की किताब तरग़ीब के हवाले से यह रिवायत नक़ल की गयी है कि ''हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हिन्दुस्तान से पैदल चल कर एक हज़ार हज्ज किये ।''

(फ़ज़ाएल-हज्ज पृष्ठ - ३५)

इसका एक रावी क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान है जिसके बारे में इब्ने मुईन कहते हैं कि वह कुछ नहीं है (अर्थात विश्वास पात्र नहीं) और अबू ज़रआ कहते हैं वह मुनकर हदीसें बयान करता है। और इसके दूसरे रावी अब्बास बिन फ़ज़ल अन्सारी के बारे में अल्लामा अल्बानी कहते हैं कि वह मतरूक है और अबू

ज़रआ उसे मुत्तहम (दोषित) क़रार देते हैं।

(सिलसिलतुल अहादीस अज्जअीफ : जिल्द - १, पृष्ठ - ३०३)

क़ुर्आन हज़रत इब्राहीम को काबा के निर्माता की हैसियत से पेश करता है। हज़रत आदम के ज़माने में काबा का वजूद ही कहाँ था जो हज्ज करते। हज़रत आदम का हिन्दुस्तान में उतारा जाना भी किसी सही हदीस से साबित नहीं है और यह बात तो एक मोजिज़ा (चमत्कार) ही हो सकती है कि वह हिन्दुस्तान से पैदल चल कर एक हज़ार हज्ज करें मगर मोजिज़ा के सुबूत के लिए रावियों (उल्लेखकर्ताओं) का विश्वासनीय होना आवश्यक है। अविश्वासनीय रिवायतकर्ताओं के बयान करने से कोई मोजिज़ा साबित नहीं होता इस लिए यह रिवायत बिलकुल मौज़ूअ और मुनकर है।

(१२) ''क़ब्र शरीफ़ की जगह सारी जगहों से अफ़ज़ल है, जो हिस्सा हुज़ूर के बदन से मिला हुआ है वह काबा से अफ़ज़ल है, 'अर्श' से अफ़ज़ल है, 'कुर्सी' से अफ़ज़ल है यहाँ तक कि आसमान व ज़मीन की हर जगह से अफ़ज़ल है।''

(तब्लीग़ी निसाब फ़ज़ाएले हज्ज, पृष्ठ - १०९)

इतना बड़ा दावा बिना दलील कर दिया गया है। यह बात न क़ुर्आन में कहीं बयान हुई है और न किसी सही हदीस में, फिर मुअल्लिफ़ (संकलनकर्ता) को कैसे मालूम हो गयी? क्या दीन के मामले में ऐसी अटकल पच्चू बातें कहना जाएज़ है? क़ब्र की जगह का काबा से और अर्श व कुर्सी से अफ़ज़ल होना खुली मुबालग़ा आराई (अत्युक्ति) है और वास्तव में ग़लत है। ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए जो नबी के मरतबे को खुदा से बढ़ा देने वाली हो।

(१३) ''अबू हुरैरा रज़ि. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते है कि मुझ पर दरूद पढ़ना पुल सिरात पर गुज़रने के वक्त नूर है और जो शख़्स जुमा के दिन अस्सी दफ़ा मुझ पर दरूद भेजे उसके अस्सी साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाऐंगे ।'' (तब्लीगी निसाब, फ़ज़ाएले दरूद शरीफ़, पृष्ठ - ४०)

संकलनकर्ता लिखते हैं :– ''अल्लामा सख़ावी रहमतुल्ला अलैहि ने क़ौले बदीअ् में इस हदीस को कई रिवायत से जिन पर ज़ोफ़ (कमज़ोर होने) का हुक्म

भी लगाया है, नक़ल किया है।''

यह हदीस कमज़ोर ही नहीं बल्कि जैसा कि अल्लामा अल्बानी ने सराहत की है, गढ़ी हुई अर्थात मौज़ू है। (सिलसिलतुल अहादीसिज्जअीफ़:जिल्द -१,पृष्ठ -२५१)

इस हदीस का मौज़ू होना इसके मज़मून से ही प्रतीत होता है। क्यों कि इस में जुमा के दिन अस्सी दफ़ा दरूद भेजने का अज्र यह बतलाया गया है कि अस्सी साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाऐंगे जबकि क़ुर्आन कहता है :–

مَنْ جَآءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۔(الانعام۱۶۰)

''जो एक नेकी ले कर आएगा उसके लिए दस गुना अज्र है।''

और सही हदीस में एक मरतबा दरुद भेजने का अज्र दस गुना बतलाया गया है।

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَ ةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ۔ (مسلم)

''जो मुझ पर एक मरतबा दरुद भेजेगा अल्लाह उस पर दस मरतबा रहमत भेजेगा।''

सवाब में मुबालग़ा आराई ज़अीफ़ और मौज़ू हदीस ही की विशेषता है। और ऐसी हदीसों को दीन की तब्लीग़ का माध्यम बनाना सही नहीं। इस से दीन का हुलिया बिगड़ जाता है और आदमी अपने वास्तविक कर्तव्यों से ग़ाफ़िल हो जाता है।

(१४) तब्लीग़ी निसाब में बैहक़ी की शोअैबुलईमान के हवाले से एक हदीस नक़ल की गई है कि: ''हज़रत अबू हुरैर: रज़ि. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि जो शख़्स मेरे ऊपर मेरी क़ब्र के करीब दरुद भेजता है मैं उसको खुद सुनता हूँ और जो दूर से मुझ पर दरुद भेजता है वह मुझ को पहुँचा दिया जाता है।''

(फ़ज़ाएल दरुद शरीफ़, पृष्ठ - १८)

इब्ने जौज़ी लिखते हैं कि यह हदीस सही नहीं है। इस के रावी मुहम्मद बिन मर्रान सुद्दी के बारे में इब्ने नुमैर ने कहा है कि वह झूठा है और नसई कहते

हैं कि मतरुक है।

(किताबुल मौजूआत, जिल्द - १, पृष्ठ - २०३)

और अल्लामा अल्बानी ने इसके मौजू (गढ़ी हुई) होने की पुष्टि की है और लिखा है कि सही हदीस में सिर्फ यह बात बयान हुई है कि जो शख़्स आप पर दरुद भेजता है उसका दरुद आप तक पहुँचा दिया जाता है।

(सिलसिलतुल अहादीसिज्जअीफ़ : जिल्द - १, पृष्ठ - २०३)

(१५) ''मुस्नद अबू याअला में हज़रत आयशा से उल्लिखित हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि वह ज़िक्रे ख़फ़ी (ख़ुदा को आहिस्ता याद करना) जिसको फ़रिश्ते भी न सुन सकें, सत्तर दर्जा दो चन्द (दुगुना) होता है। जब क़ियामत के दिन हक़ तआला शानुहू तमाम मख़्लूक़ को हिसाब के लिए जमा फरमाऐंगा और किरामन कातिबीन आमाल नामे ले कर आऐंगे तो इरशाद होगा कि फ़्लाँ बन्दे के आमाल देखो कुछ और बाक़ी है वह अर्ज़ करेंगे कि हम ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो लिखी न हो और महफूज़ न हो। तो इरशाद होगा कि हमारे पास इसकी ऐसी नेकी बाक़ी है जो तुम्हारे इल्म में नहीं और वह ज़िक्रे ख़फ़ी है ।''

(तब्लीग़ी निसाब फ़ज़ाएले जिक्र, पृष्ठ - ४३)

इस हदीस को क़ुर्आन की कसौटी पर परखिये इस का बातिल होना बिलकुल स्पष्ट हो जाएगा। सूर: इन्फितार में फरमाया गया है :–

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ۔

''तुम पर निगरा (संरक्षक) मुक़र्रर हैं, किरामन कातिबीन, वह जानते हैं जो तुम करते हो ।''

मगर वर्णित हदीस बताती है कि ज़िक्रेख़फ़ी किरामन कातिबीन से भी छिपा रह जाता है। और सूर: कहफ़ में इरशाद हुआ है कि क़यामत के दिन लोग अपने आमाल नामे को देख कर कहेंगे :

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا

''यह कैसी किताब है कि इस ने कोई छोटी बड़ी चीज़ छोड़ी नहीं बल्कि

हर चीज़ को दर्ज कर लिया है।''

इस तरह क़ुर्आन स्पष्ट रूप से बताता है कि कोई छोटे से छोटा अमल भी आमाल नामे से ग़ायब होने वाला नहीं है लेकिन वर्णित हदीस बतलाती है कि ज़िक्रेख़फ़ी आमाल नामे में दर्ज होने से रह गया था और लिखने वाले फ़रश्तिों को भी इस की खबर नहीं थी। ऐसी हदीस को मौजू और बातिल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे?

(१६) मक़ामे महमूद की तफ़सीर इस तरह बयान की गयी है :

''और कुछ ने कहा कि अल्लाह जल्लशानुहू आप को क़यामत के दिन अर्श पर और कुछ ने कहा, कुर्सी पर बिठाने को कहा ।' (फ़ज़ाएल दरुद शरीफ़, पृष्ठ - ४६)

यह बात जिसने भी कही है बड़ी जसारत के साथ बदतरीन झूठ अल्लाह तआला की तरफ़ मन्सूब कर दिया है। नबी सल्लल्लाहू अलैहि वसल्लम की फ़जीलत में इस हद तक गुलू (सीमा उल्लंघन) कि आप को अर्श व कुर्सी पर बिठा दिया जाए। बड़ी गुस्ताख़ाना बात है और इस से अक़ीदा-ए-तौहीद मजरुह (आहत) हो जाता है। आश्चर्य है कि मुसलमानों की इस्लाह के लिए जो किताबें लिखी जाती हैं उन में इस प्रकार की बेसिर पैर की बातें नक़ल की जाती हैं। जब अक़ीदे ही की इस्लाह नहीं होगी तो और क्या इस्लाह हो सकेगी? ऐसी बातें तो तरदीद ही के उद्देश्य से नक़ल की जा सकती हैं न कि तब्लीग़ के उद्देश्य से।

इमाम सज़ी ने अपनी तफ़सीर में वर्णित कथन को पूरे तर्क से खण्डन किया है और अन्त में लिखा है : ''अत: साबित हुआ कि यह कथन अत्यन्त घटिया और मरदूद है। इसकी ओर वही व्यक्ति प्रेरित हो सकता है जिसके पास न अक़ल हो और न दीन, वल्लाहुआलम् ।''

(तफ़सीर कबीर, जिल्द - २१, पृष्ठ - ३२)

असल में यह कथन मुजाहिद की तरफ़ मन्सूब कर दिया गया है जो मशहूर ताबई और मुफ़स्सिर हैं। वह यह बेहूदा बात किस तरह कह सकते थे, मगर गुलू पसन्द (अतिश्योक्ति प्रेरित) रावियों के झूठ गढ़ कर उन की तरफ मन्सूब कर दिया. अत: तफ़सीर तबरी में यह रिवायत अब्बास बिन याकूब असदी के

वास्ते से बयान हुई है।

(तफ़सीर तबरी, जिल्द - ८, पृष्ठ - ९८)

और अब्बास बिन याकूब असदी के बारे में मालूम है कि वह ग़ाली (हज़रत अली को खुदा मानने वाले) शीआ और बहुत बड़े बिदअती थे। अस्माउर्रिजाल की किताब तहज़ीबुत्तहज़ीब में हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इब्न अदी का क़ौल नक़ल किया है कि अब्बाद के अन्दर शीअत हद से बढ़ी हुई थी, और वह फ़जाएल में मुनकर हदीसें बयान करते थे। इसी तरह इब्ने हब्बान का क़ौल नक़ल किया है कि वह राफ़ज़ी थे और मुनकर रिवायतें मशहूर रावियों से बयान करते थे इसी लिए छोड़ देने के क़ाबिल हैं।

(तहज़ीबुत्तहज़ीब, जिल्द - ५, पृष्ठ - १०९)

स्पष्ट हुआ कि वर्णित रिवायत प्रमाण की दृष्टि से अविश्वसनीय है और वास्तव में ग़लत है। ऐसी रिवायतों और ऐसे कथनों को बग़ैर परखे अवाम के सामने पेश करने से बचना चाहिए।

ज़अीफ़ हदीस

फन्ने हदीस (हदीस शास्त्र) के उलेमा ने ज़अीफ़ हदीस की परिभाषा यह बयान की है कि : ''हर वह हदीस ज़अीफ़ है जिस में न हदीस सही की सिफ़ात पायी जाती हों और न हदीस हसन की ।''

(मुक़दमा इब्नुस्सलाह, पृष्ठ - २०)

रावी की तरफ़ से हिफ़्ज़ व ज़ब्त (याददाश्त) में कमी, उसका विश्वासनीय उल्लेखकर्ताओं की हदीस के विरुद्ध उल्लेख करना, उसके आदिल (न्यायी) होने में संदेह और सिलसिला-ए-रिवायत का टूट जाना वग़ैरह वह कारण हैं जिनकी बिना पर हदीस को ज़अीफ़ कहा जाता है। ज़अीफ़ हदीस के कई प्रकार है जिनमें से एक हदीस मुर्सल है और हदीस मुर्सल वह है जिसको किसी ताबअी ने सहाबी के वास्ते के बग़ैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया हो। इसके बारे में इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम की तम्हीद (भुमिका) में लिखा है कि :

''मुर्सल हमारे और उलमा-ए-हदीस के नज़दीक हुज्जत नहीं है।''

असल में ज़अीफ़ हदीस वह है जिसकी सेहत संदिग्ध हो। ऐसी हदीस से न कोई शरअी हुक्म साबित होता है और न वह दीन में हुज्जत है। मगर उलमा का एक गिरोह फ़ज़ीलत के अध्याय में ज़अीफ़ हदीसें नक़ल करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता। उन के नज़दीक ऐसी हदीसें प्रोत्साहन के लिए लाभकारी हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि हदीस की स्वीकृति के मामले में इस असावधानी ने दीन और मिल्लत को ज़बरदस्त नुक़सान पहुँचाया है।

इस्लाम की शिक्षा क्या है, इस को जानने का अत्यन्त ठोस माध्यम क़ुर्आन है फिर प्रमाणित सुन्नत या सही हदीसें। रह गईं वह रिवायतें जिनकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर संदिग्ध है, सनद (प्रमाण) के ऐतबार से या मतन (मूल विषय) के एतबार से, उन से न सुन्नत साबित होती है और न हुज्जत क़ायम होती है और न ही दीन में उनका कोई मक़ाम हैं। फिर ऐसी हदीसों को अवाम के सामने पेश कर के यह तास्सुर देना कि यह रसूल के इरशादात हैं, दीन के लिए कमज़ोर बुनयादें तलाश करने और लोगों की नज़रों में पूरे दीन को संदिग्ध बना देने का कारण है। इस से बिदअतों के लिए राहें खुलती हैं और मिल्लत के अन्दर फिरक़ा बन्दी और तरह तरह के फ़ितनों का सामान होता है।

फ़ज़ाएले आमाल का भी दीन में एक स्थान है, उसको उसी स्थान पर रखा जाए। अगर किसी चीज़ को घटाया या बढ़ाया गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा और दीन के विभिन्न हिस्सों के बीच वह सम्बन्ध और वह सहमति बाकी न रहेगी जो शारे (शरीअत बनाने वाले) के सामने रही हैं। अत: जब शरअी एहकाम के सिलसिले में ज़अीफ़ हदीसों को स्रोत बनाना सही नहीं है तो फ़जाएले आमाल के सिलसिले में इन को स्रोत बनाना क्यों और किस तरह सही हो सकता है?

'उलूमुलहदीस' के लेखक डा. सुबही स्वालेह लिखते हैं : दीने इस्लाम में यह एक प्रमाणित वास्तविकता है कि ज़अीफ़ हदीस किसी हुक्मे शरअी या फ़जाएले आमाल के लिए मस्दर व माख़ज़ (आधार व स्रोत) क़रार नहीं दी जा सकती (इस लिए कि ज़अीफ़ हदीस की बुनियाद अनुमान पर रखी गयी हैं) और अनुमान किसी सूरत में भी हक़ की जगह नहीं ले सकता। फिर यह बात भी विचार करने योग्य है कि फ़ज़ाएल शरअी अहकाम की तरह दीन के

बुनियादी खम्बों की हैसियत रखते हैं। यह किसी तरह वैध नहीं कि दीन की बुनियाद ऐसे खम्बों पर रखी गयी हो जो बिलकुल कमज़ोर और ताकत व पायेदारी से बिलकुल कोरी हों। सारांश यह कि हम इस बात को स्वीकार करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है कि फ़ज़ाएले आमाल में ज़अीफ़ हदीसों को अमल में ला सकते हैं। अगर वह शर्तें इन में मौजूद भी हों जिन को आसानी ढूंढने वालों ने इस सम्बन्ध में ज़रूरी ठहराया है...।

हमारे पास हसन व सही हदीसों की शरअी अहकाम और फ़ज़ाएल में इतनी अधिकता है कि इन के होते हुए ज़अीफ़ हदीस को स्वीकार करने की कुछ हाजत नहीं। अस्वीकार करने का कारण यह भी है कि ज़अीफ़ हदीस का सबूत हमारे हृदय व आत्मा में हमेशा खटकता रहेगा और हमें कभी भी दिली इत्मीनान हासिल न हो सकेगा और इसी शक व शुबह की वजह से हम इस को ज़अीफ़ कहते हैं हालांकि दीनी मामलों में यक़ीन और भरोसे की ज़रूरत होती है।''

(उलूमुल हदीस, उर्दू अनुवाद गुलाम अहमद हरीरी, पृष्ठ - २७५)

लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि इस मामले में आम तौर से नरमी बरती गयी और बड़ी उदारता से ज़अीफ़ हदीसों को कुबूल किया जाता रहा और आज सूरतेहाल यह है कि सही हदीसों के मुक़ाबले में ज़अीफ़ हदीसों को अवाम के सामने पेश करने का एहतेमाम किया जाता है, सही हदीसों में जिन बातों पर वअीद (अज़ाब की धमकी) सुनाई गई है उनको इस्लाही और तब्लीग़ी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता जितना जरूरी फ़ज़ाएल वाली हदीसों को समझा जाता हैं चाहे वह हदीसें प्रमाण और मूलविषय के एतबार से कितनी ही कमज़ोर क्यों न हों।

हदीस की जिन किताबों का शुमार तीसरे या चौथे तबक़े में होता है अर्थात जिन में अल्लम ग़ल्लम हर तरह की रिवायतें जमा की गई हैं वह सूफी और वाइज़ (उपदेशक) हजरात का असल स्रोत और आधार हैं। जैसे, तिबरानी, बैहक़ी, इब्ने मरदवय:, अबू नुएम, दैलमी और इब्ने असाकिर वग़ैरह। अत: शाह वली उल्लाह ने इस पर तफ़सील से रोशनी डाली है। मुलाहज़ा हो। (हुज्जतुल्लाहुलबालिग़: पृष्ठ १३५ और मुक़दमा तोहफ़तुल

अहवज़ी, जिल्द १, पृष्ठ ५९-६०)

हक़ीक़त यह है कि ज़अीफ़ और मौजू (मन गढ़न्त) रिवायतों के चलन ने दीन का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। क़ुर्आन ने जितना ज़ोर अमले स्वालेह (सुकर्मों) पर दिया है और अम्र बिलमारुफ़ व नही अनिलमुनकर (भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना) के अनिवार्य कर्तव्य को अदा करने की जिस क़दर ताकीद की इसके विरुद्ध फ़ज़ाएले आमाल की गुलू से भरी हुई अप्रमाणित रिवायतें एक मामूली नेकी पर जन्नत का परवाना (अनुमति) हाथ मे थमा देती हैं।

ज़अीफ़ हदीस की मिसालें

यहाँ हम ज़अीफ़ हदीस की कुछ मिसालें पेश करते हैं जिससे अन्दाज़ा होगा कि तरग़ीब व तरहीब (प्रेरणा-प्रोत्साहना) के लिए इन को पेश करना कितना गलत है :–

مَنْ زَارَقَبْرِیْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی ۔

(१) *''जिस ने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत ज़रूरी हो गयी।''*

यह हदीस इब्ने खुजेमा ने अपनी सही में रिवायत की है और इसके ज़अीफ़ होने की तरफ़ इशारा किया है और बैहकी ने भी इसे ज़अीफ़ क़रार दिया है।

(कश्फुलख़िफ़ा-शैखुलअजबूनी, जिल्द - २, पृष्ठ - २४४)

और अल्लामा इब्ने तैमिया फ़रमाते हैं :

''आप के क़ब्र की ज़ियारत से सम्बन्धित तमाम हदीसें ज़अीफ़ हैं। दीन के मामले में इन में से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी लिए असहाब सिहाह (बुखारी वातुस्लित) व सुनन (अबूदाऊद वग़ैरा) ने इन में से कोई हदीस नक़ल नहीं की। इन को ज़अीफ़ हदीसें नक़ल करने वालों ही ने रिवायत किया है। जैसे दारकुत्नी बज्जार वग़ैरह.'' (मजमूअ फतावा इब्ने तैमिया, जिल्द - १, पृष्ठ - २३४)

और मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी ने तो इस हदीस को मौजू करार दिया है।

(ज़अीफुलजामिउस्सग़ीर जिल्द ५, पृष्ठ २०२, अल-अहादीसज़्ज़अीफ़ : जिल्द - १, पृष्ठ - ६४)

सवाल यह है कि अगर यह इर्शादे रसूल होता तो इतने अहम इर्शाद से विश्वासनीय रावी किस तरह अपरिचित हो सकते थे? एक ऐसी हदीस जिसकी ताईद न क़ुर्आन से होती है और न सहीह हदीसों से वह ज़अीफ़ रावियों ही को किस तरह मिल गयी? सच यह है कि शिफ़ाअत के सिलसिले में क़ुर्आन ने बहुत ही सख्त शर्तें बयान की थीं लेकिन ज़अीफ़ हदीसों ने इन को बिलकुल नर्म कर दिया।

٢۔ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

(२) *''इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।''*

इस हदीस को इब्ने माजा ने हज़रत अनस से मरफ़ूअन रिवायत किया है लेकिन यह हदीस ज़अीफ़ है चुनान्चे बैहक़ी कहते हैं कि इस का मतन (मज़मून) मशहूर है लेकिन सनद ज़अीफ़ है।

(तमीज़ुततैय्यिब मिनल ख़बीस, अब्दुर्रहमान शैबानी, पृष्ठ - २०२)

इसका एक रावी हफ़्स बिन सुलेमान है जिसके बारे में 'मक़ासिदे हसना' में हैं कि वह बहुत ज़अीफ़ है। बल्कि कुछ लोगों ने उस पर हदीस गढ़ने और झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी लगाया है।

(कश्फ़ुलख़िफ़ा-शैख अजलूनी, जिल्द - २, पृष्ठ - ४३)

इमाम अहमद कहते हैं कि इस बाब में कोई बात साबित नहीं।

(तज़किरतुल मौज़ूआत, पृष्ठ - १७)

इमाम ज़हबी लिखते हैं कि इब्ने मुईन ने कहा है कि वह सक्क: (विश्वासनीय) नहीं है और बुख़ारी और अबू हातिम कहते हैं कि वह मतरुक है।

(मीज़ानुल एतेदाल, जिल्द - १, पृष्ठ - ५५८)

मरफ़ूअ उस हदीस को कहते है जिसका सिलसिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे।

जहाँ तक इल्मे दीन का सम्बन्ध है किताब व सुन्नत से इसका फ़र्ज़ होना

साबित है। मिसाल के तौर पर क़ुर्आन की पहली आयत जो नाजिल हुई वह

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ۔

''पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया।'' इस आयत में क़ुर्आन पढ़ने का हुक्म दिया गया है जिस का मतलब ही यह है कि क़ुर्आन पढ़ो और उसका इल्म हासिल करो। इसी तरह क़ुर्आन में अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञापालन का हुक्म दिया गया है और ज़ाहिर है कि आज्ञापालन के लिए दीन और शरीअत का इल्म ज़रूरी है। इस लिए इसकी अनिवार्यता बिलकुल स्पष्ट है और इस हदीस पर निर्भर नहीं जो ऊपर बयान हुई और जो प्रमाण के एतबार से ज़अीफ़ है।

(३) ''हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया गया कि जो शख्स हज्ज के लिए पैदल जाए और आए उसके लिए हर हर क़दम पर हरम की नेकियों में से सात सौ नेकियाँ लिखी जाएंगी। किसी ने अर्ज़ किया कि हरम की नेकियों का क्या मतलब? हुज़ूर ने फरमाया कि हर नेकी एक लाख नेकी के बराबर है।

फायदा : इस हिसाब से सात सौ नेकियाँ सात करोड़ के बराबर हो गईं और हर हर क़दम पर यह सवाब है तो सारे रास्ते के सवाब का क्या अन्दाज़ा हो सकता है।''

(तब्लीग़ी निसाब, फ़ज़ाएले हज्ज, पृष्ठ - ३४)

अल्लामा अल्बानी लिखते हैं कि यह हदीस अत्यन्त कमज़ोर है। इसे तिबरानी, हाकिम और बैहक़ी ने ईसा बिन सवादा के वास्ते से रिवायत किया है। हाकिम ने इसे सही कहा है लेकिन इमाम ज़हबी कहते हैं यह सही नहीं बल्कि मुझे रावी के झूठा होने का सन्देह है और अबू हातिम कहते हैं यह ज़अीफ़ है और इस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनकर हदीस रिवायत की है। हाफिज़ मुन्ज़िरी ने इस के बारे में इमाम बुख़ारी का क़ौल नक़ल किया है कि मुनकिरुलहदीस है और इब्ने मोईन कहते हैं वह कज़्ज़ाब (झूठा) है।

(सिलसिलातुल अहादीसिज़्ज़ईफ़ : जिल्द - १, पृष्ठ - ५०१-५०२)

٤۔ كَانَ اِذَاصَلَّى مَسَحَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاسِهِ وَيَقُوْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُ هُ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ،اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ۔

(४) ''अर्थात जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो अपना दाहिना हाथ अपने सर पर फेरते और कहते अल्लाह रहमान व रहीम के नाम से जिस के सिवा कोई इलाह नहीं, खुदाया ! परेशानी और ग़म को मुझ से दूर कर दे।''

अल्लामा अल्बानी कहते है कि यह हदीस बहुत ही ज़अीफ़ है। इसे तिबरानी और खतीब बग़दादी ने कसीर बिन सलीम से रिवायत किया है। इस रावी के बारे में बुख़ारी और अबू हातिम ने कहा है कि वह हदीस के मामले में मुनकर है और नसई ने कहा है कि मतरूक है। इस हदीस को इब्नुससुन्नी और अबू नुअैम ने सलामा के वास्ते से भी रिवायत किया है लेकिन यह रावी झूठा है और हदीस मौज़ू है।

(सिलसिलतुल अहादीसिज़्ज़ईफ़ : जिल्द - २, पृष्ठ - ११४)

٥۔ عن عائشة قالت : فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَاِذَاهُوَبِالبَقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَنْ يَّحِيْفَ اللّٰه عَلَيْكِ وَرَسُوْلَهُ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ظَنَنْتُ اَنَّكَ اتَيْتَ بَعْضَ نِسَآئِكَ، فَقَالَ : اِنَّ اللّٰه تَبَارَكَ وتَعَالٰى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَافَيَغْفِرُلِا كْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ۔

(५) *''हज़रत आयशा फ़रमाती हैं एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूद नहीं पाया इस लिए मैं बाहर निकल गई। देखा कि आप बक़ीअ (क़ब्रस्तान) में हैं। आप ने मुझ से पूछा क्या तुम ने यह अन्देशा महसूस किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी हक़ तल्फ़ी (अन्याय) करेंगे? मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने खयाल किया कि आप अपनी किसी पत्नी के यहाँ तशरीफ़ ले गये होंगे। फ़रमाया : अल्लाह तआला निस्फ़ शाबान की रात को आसमान से दुनिया पर नुजूल फ़रमाता है और क़बीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा तादाद में मग़फ़रत फ़रमाता है।''*

यह हदीस तिर्मिज़ी ने जिस सनद के साथ बयान की है वह यह है :

''हम से अहमद बिन मनीअ ने बयान किया वह कहते है हमें यज़ीद बिन हारून ने खबर दी वह कहते हैं हमें हज्जाज बिन इरतात ने खबर दी, वह यहया बिन अबी कसीर से रिवायत करते हैं, वह उर्वाह से और वह हज़रत आयशा से रिवायत करते हैं।''

इस हदीस को नक़ल कर के तिर्मिज़ी ने लिखा है कि :–

हज़रत आयशा की इस हदीस को इसी प्रमाण से जानते हैं जिस के रावी हज्जाज हैं । और मैं ने मुहम्मद (अर्थात बुख़ारी) को सुना वह इस हदीस को ज़अीफ़ क़रार दे रहे थे। वह कहते हैं यहया बिन अबी कसीर ने उर्वह से नहीं सुना है, एवं बुख़ारी कहते हैं हज्जाज ने यहया बिन अबी कसीर से नहीं सुना है। (तिर्मिज़ी अब्बाबुस्सौम)

अर्थात यह हदीस सनद के लिहाज़ से दो जगह मुन्क़ता (विच्छेदित या कटी हुई) है। एक हज्जाज और यहया के बीच और दुसरे यहया और उर्वह के बीच, इस लिए इस से यह वाक़ेआ और इरशादे रसूल साबित नहीं होता। तिर्मिज़ी ने इस को नक़ल तो कर दिया है लेकिन साथ ही उसके ज़अीफ़ होने की सराहत (पुष्टि) भी की है।

इस रिवायत में जो वाकेआ बयान हुआ है उसकी सेहत संदिग्ध मालूम होती है क्यों कि हज़रत आयशा का अकेले रात देर गये क़ब्रस्तान जाने का कोई औचित्य नहीं और आप का हज़रत आयशा से यह सवाल करना कि क्या तुम्हें यह अन्देशा है कि अल्लाह और रसूल तुम्हारी हक़तल्फ़ी करेंगे। एक ऐसा

सवाल है जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ सही नहीं मालूम होती क्यों कि हज़रत आयशा यह तो ख़याल कर सकती थीं कि आप किसी ज़रूरत से अपनी दूसरी पत्नी के घर तशरीफ़ ले गये होंगे लेकिन इसमें अल्लाह की तरफ़ से हक़ तल्फ़ी का सवाल कहाँ पैदा होता है जो हज़रत आयशा इस बदगुमानी में मुब्तेला होती? फिर अगर पन्द्रहवी शाबान की रात ऐसी फ़ज़ीलत वाली होती कि इसमें अनगिनत मुर्दों की बख्शिश हो जाती है तो आप पहले ही लोगों को बता देते ताकि वह इस रात में इबादत वग़ैरह का एहतेमाम करते। यह किस तरह मुमकिन है कि आप इस फ़ज़ीलत वाली रात से अपने असहाब को बाखबर न करें यहाँ तक कि हज़रत आयशा को भी इस की खबर न हो और इत्तेफ़ाक से जब वह क़ब्रस्तान जाऐं तो उन्हें इस का पता चले? इस प्रकार के मुअम्मे ज़अीफ़ हदीस ही पैदा करती रहती हैं। सुन्नते रसूल हमेशा रौशन होती है और दिलों में यक़ीन पैदा करती है।

शाबान की पन्द्रहवी रात की फ़ज़ीलत में हदीस की किताबों में कई हदीसें बयान हुई हैं, मगर सब ज़अीफ़ हैं। कोई हदीस भी सही नहीं। इसी लिए ऐसी हदीसें बुख़ारी और मुस्लिम में जगह न पा सकीं। जब ज़अीफ़ हदीस हुज्जत ही नहीं है तो वह फ़जीलत साबित कहाँ से हुई? अगर वह रात फ़जीलत की रात होती तो सहाबा किराम में इस का चर्चा होता और मशहूर और विश्वास्नीय रावी इसे रिवायत करते। इतनी अहम बात जिसका आम चर्चा होना चाहिए सिर्फ़ ज़अीफ़ रावियों को कैसे मालूम हो गई! और अब तो मुसलमानों में इन ज़अीफ़ हदीसों के मामले में नरमी बरतने से कैसी कैसी बातें पैदा हो जाती हैं।

वाज़ेह रहे कि पन्द्रहवीं शाबान से सम्बन्धित यह हदीस भी ज़अीफ़ है कि यह रात इबादत में गुज़ारो और दिन को रोज़ा रखो। मुलाहज़ा हो।

(तज़किरतुलमौज़ूआत, पृष्ठ ४५ और तोहफ़तुलअहवज़ी, जिल्द-३, पृष्ठ - ४४२)

मौज़ूअ और ज़अीफ़ हदीसों पर किताबें

अरबी में मौज़ू और ज़अीफ़ हदीसों पर कई किताबें लिखी गई हैं जिनमें इन

का तहक़ीक़ी जायज़ा पेश किया गया है। इस सिलसिले की कुछ मशहूर किताबों के नाम निम्नलिखित हैं।

१. किताबुल मौज़ूआत – इब्ने जौज़ी (म ५९७ स. हिजरी)

२. अलमक़ासिदुल हसन – सख़ावी (म ९०२ स. हिजरी)

३. अललआलीमुल मस्नुअ: – जलालुद्दीन सुयूती (म ९११ स. हिजरी)

४. तज़किरतुलमौज़ूआत – मो. ताहिर हिन्दी (म ९८६ स. हिजरी)

५. तमीज़ुत्तैयब मिनलख़बीस – शैबानी

६. मौज़ूआते कबीर – मुल्ला अली कारी (म १०१४ स. हिजरी)

७. कश्फ़ुलख़िफ़ा – अलअजलुनी (म ११६२ स. हिजरी)

८. अलफ़वायदुलमजमुअ: – शौकानी (म १२५० स. हिजरी)

मौज़ूदा जमाने के मशहूर मुहद्दिस मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी (दमिश्क) ने सिलसिलतुल अहादीसिज़्ज़अीफ़ह वलमौज़ूअ: प्रकाशित करके बड़ी सराहनीय सेवा की है। इस की दो जिल्दें अब तक हमारी नज़र से गुज़री हैं जो अलमक्तबुलइस्लामी बेरूत से प्रकाशित हुई हैं। और इन में मौज़ू और ज़अीफ़ हदीसों पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई है। इस के अलावा मौसूफ (उक्त महोदय) ने ज़अीफुल जमीउस्साग़ीर में ज़अीफ़ हदीसों की निशानदही की है जो कई जिल्दों पर मुश्तमिल है।

जहाँ तक उर्दू का सम्बन्ध है इस विषय पर शायद कोई किताब लिखी नहीं गई और यह उर्दू लिट्रेचर में बहुत बड़ी कमी है। अलबत्ता हाल ही में मर्कज़ी मक्तबा इस्लामी देहली से 'फ़ित्ना-ए-वज़अे हदीस और मौज़ू अहादीस की पहचान' के नाम से मौलाना मुहम्मद सऊद आलम कासमी की किताब प्रकाशित हुई है जो कद्र करने के लायक और अध्ययन के योग्य है।

उम्मते मुस्लिमह की ज़िम्मेदारी

उम्मते मुस्लिमह की तश्कील (रचना) दीने हक़ पर हुई है और इसका

मक्सदे-वजूद (अस्तित्व का उद्देश्य) शहादते हक़ है।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا كُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا۔ (بقرہ۔۱۴۳)

''इसी तरह हम ने तुम को एतेदाल वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हो।''

और हक़ वह है जिसको किताब व सुन्नत ने पेश किया है इस लिए किताब व सुन्नत की मज़बूती के साथ थामना और दावत व तब्लीग और सुधार के कामों में इन को पेश करने, इनके अर्थ व भावार्थ को स्पष्ट करने और इन से गहरा लगाव और सम्बन्ध पैदा करने का एहतेमाम करना, उम्मते मुस्लिमह की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है, और दीन को बग़ैर किसी काट छाँट के उसी सूरत में पेश किया जा सकता है जब कि मौजू और ज़अीफ़ हदीसों, बे सर पैर की रिवायतों, बुजुर्गों की ओर ग़लत तौर से मन्सूब की गयी करामतों और ख्वाबों से उस को महफूज़ रखा जाए।

हदीस के विद्वानों ने हदीस के संकलन की खातिर सही, हसन और ज़अीफ़ हदीसों को अपनी किताबों में जमा कर दिया था ताकि तहक़ीक (Research) करने वालों के लिए सामग्री इकट्ठा हो। उन्होंने हर हदीस की सनद (प्रमाण) भी बयान कर दी है और तिर्मिज़ी वग़ैरह ने तो हदीस के सही, हसन, या ज़अीफ़ होने की पुष्टि भी की है। उन्होंने यह ज़अीफ़ हदीसें अपनी किताबों मे इस लिए सामिल की थीं ताकि तहक़ीक़ करने वाले और तहक़ीक़ करें। हो सकता है एक ज़अीफ़ हदीस दूसरे रावियों के द्वारा सही साबित हो जाए। अब जो लोग उम्मत के बिगाड़ के पेशेनज़र सुधार और दावत व तब्लीग़ के काम के लिए उठ खड़े हों उन का काम यह नहीं है कि चुन चुन कर ज़अीफ़ हदीसें जमा करें और इसका लिहाज़ किये बग़ैर कि वह क़ुर्आन व सुन्नत से मेल खाती हैं या नहीं, अवाम के सामने पेश करें। यहाँ तक कि मौजू हदीसें पेश करने से भी संकोच न करें।

खतीब बग़दादी ने जिन का ज़माना पाँचवी सदी हिजरी का है हदीस के मामले में नरमी बरतनेवालों का जो नक़्शा खींचा है वह सोचने की दावत

देता है।

'अलकिफ़ाय: फ़ी इल्मिरिवाय:' इन की मशहूर किताब है जिस का शुमार फन्ने हदीस (हदीस शास्त्र) की अहम तरीन किताबों में होता हैं वह लिखते हैं :

''इस ज़माने में अधिकतर हदीस के विद्यार्थियों का यह हाल है कि हदीस की मशहूर किताबों के बजाय अपरिचित किताबों का उन के ज़ेहन पर ग़लबा हो गया है। प्रसिद्ध व परिचित हदीसों को छोड़ कर मुनकर (ग़लत) हदीसों को सुनते हैं। मजरूह (क्षतिग्रस्त) और ज़अीफ़ रावियों की रिवायतों में जिन में चूक और ग़लतियाँ पाई जाती हैं,व्यस्त एवं मगन रहते हैं यहाँ तक कि इन में से अक्सर के नज़दीक सही चीज़ परहेज़ योग्य बन गई है और जो साबित है वह दूरी का कारण। यह सब कुछ इस लिए हो रहा है कि वह रावियों के हालात से वाक़िफ़ नहीं हैं। इन में से सलाहियत की भी कमी है जो पहचान करने के लिए ज़रूरी है और वह इस इल्म को हासिल करने से भी बेपरवाह हैं। इन का यह तरीक़ा उस तरीक़े के बिलकुल खिलाफ़ है जो हमारे अस्लाफ (पूर्वजों) में से मुमताज़ शख्सियतों और अइम्मा-ए-मुहद्दिसीन (हदीस के विद्वानों) का रहा है।''

(अलकिफ़ाय: फ़ी इल्मिर्रिवाय: पृष्ठ - १८८)

Printed at:
Pixel Art Printers f / 19 Match Factory Lane
Kurla West Mumbai - 400070
Mobail : 9820790615